

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में

जिला पदाधिकारी,
सुपौल, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, खगड़िया, मधुबनी, पू0 चम्पारण, दरभंगा, समस्तीपुर, कटिहार,
सहरसा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय, मधेपुरा, पटना, सिवान, गोपालगंज, बक्सर, सारण, नालन्दा,
प0 चम्पारण, पूर्णियाँ, अररिया, शेखपुरा, किशनगंज, भोजपुर, लखीसराय।

पटना-15, दि0-

विषय : वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य स्कीम मुख्य बजट शीर्ष -2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष -80-सामान्य, लघुशीर्ष -800-अन्य व्यय, उपशीर्ष -0102-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण, विपत्र कोड-39- 2245808000102, विस्तृत शीर्ष- 26-विज्ञापन और प्रकाशन, विषय शीर्ष - 01- विज्ञापन और प्रकाशन मद के अन्तर्गत ₹43.00 लाख (तेतालीस लाख रुपये) आवंटन की स्वीकृति ।

आदेश -स्वीकृत ।

2. यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-116/आ0प्र0 दिनांक -25.05.17 द्वारा व्यय हेतु स्वीकृत राशि में से आवंटित की जा रही है ।

3. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष -2017-18 में राज्य स्कीम मुख्य बजट शीर्ष -2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष -80-सामान्य, लघुशीर्ष -800-अन्य व्यय, उपशीर्ष -0102-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण विपत्र कोड -39-2245808000102, मांग सं0-39, विस्तृत शीर्ष- 26-विज्ञापन और प्रकाशन, विषय शीर्ष - 01- विज्ञापन और प्रकाशन मद में मूल बजट उपबंध में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

4. वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी उपमुख्य शीर्ष /लघु शीर्ष/उपशीर्षवार निम्नप्रकार है:-
उप मुख्य शीर्ष -80-सामान्य
लघु शीर्ष -800-अन्य व्यय
उपशीर्ष -0102
मांग सं0-39,
विस्तृत शीर्ष- 26-विज्ञापन और प्रकाशन, विषय शीर्ष - 01- विज्ञापन और प्रकाशन

(राशि रुपये लाख में)

क्र0	जिला का नाम	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	योग
1	सुपौल	0.00 (शून्य)	2.00 (दो लाख)	2.00 (दो लाख)
2	वैशाली	0.00 (शून्य)	2.00 (दो लाख)	2.00 (दो लाख)
3	शिवहर	0.00 (शून्य)	2.00 (दो लाख)	2.00 (दो लाख)
4	सीतामढ़ी	0.00 (शून्य)	2.00 (दो लाख)	2.00 (दो लाख)
5	खगड़िया	0.00 (शून्य)	2.00 (दो लाख)	2.00 (दो लाख)
6	मधुबनी	0.00 (शून्य)	2.00 (दो लाख)	2.00 (दो लाख)
7	पू0 चम्पारण	0.00 (शून्य)	2.00 (दो लाख)	2.00 (दो लाख)
8	दरभंगा	0.00 (शून्य)	2.00 (दो लाख)	2.00 (दो लाख)
9	समस्तीपुर	0.00 (शून्य)	2.00 (दो लाख)	2.00 (दो लाख)

क्र०	जिला का नाम	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	योग
10	कटिहार	0.00 (शून्य)	2.00 (दो लाख)	2.00 (दो लाख)
11	सहरसा	0.00 (शून्य)	2.00 (दो लाख)	2.00 (दो लाख)
12	मुजफ्फरपुर	0.00 (शून्य)	2.00 (दो लाख)	2.00 (दो लाख)
13	भागलपुर	0.00 (शून्य)	2.00 (दो लाख)	2.00 (दो लाख)
14	बेगूसराय	0.00 (शून्य)	2.00 (दो लाख)	2.00 (दो लाख)
15	मधेपुरा	0.00 (शून्य)	2.00 (दो लाख)	2.00 (दो लाख)
16	पटना	0.00 (शून्य)	1.00(एक लाख)	1.00(एक लाख)
17	सिवान	0.00 (शून्य)	1.00(एक लाख)	1.00(एक लाख)
18	गोपालगंज	0.00 (शून्य)	1.00(एक लाख)	1.00(एक लाख)
19	बक्सर	0.00 (शून्य)	1.00(एक लाख)	1.00(एक लाख)
20	सारण	0.00 (शून्य)	1.00(एक लाख)	1.00(एक लाख)
21	नालन्दा	0.00 (शून्य)	1.00(एक लाख)	1.00(एक लाख)
22	प० चम्पारण	0.00 (शून्य)	1.00(एक लाख)	1.00(एक लाख)
23	पूर्णिया	0.00 (शून्य)	1.00(एक लाख)	1.00(एक लाख)
24	अररिया	0.00 (शून्य)	1.00(एक लाख)	1.00(एक लाख)
25	शेखपुरा	0.00 (शून्य)	1.00(एक लाख)	1.00(एक लाख)
26	किशनगंज	0.00 (शून्य)	1.00(एक लाख)	1.00(एक लाख)
27	भोजपुर	0.00 (शून्य)	1.00(एक लाख)	1.00(एक लाख)
28	लखीसराय	0.00 (शून्य)	1.00(एक लाख)	1.00(एक लाख)
	कुल योग	0.00 (शून्य)	43.00 (तीतालीस लाख)	43.00 (तीतालीस लाख)

5. यह आवंटन बाढ़ प्रवण जिलों को बाढ़ सुरक्षा सप्ताह हेतु निर्गत किया जा रहा है ।

6. आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे ।

7. आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2018 तक अवश्य भेज दिया जाय।

8. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष / उपमुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय । विपत्र पर सही शीर्ष / उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

9. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक -2561वि०(2) दिनांक -17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।

10. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक -15.03.2018 तक निश्चित रूप से की दें, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की जिम्मेवार होंगे । राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय ।

11. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात् पत्र की एक प्रति पर " आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत पत्र के माध्यम से विभाग को सूचित किया जाय ।



12 इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक - /आ0प्र0, पटना-15, दि0-
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट)/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक - /आ0प्र0, पटना-15, दि0-
प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, सुपौल, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, खगड़िया, मधुबनी, पू0 चम्पारण, दरभंगा, समस्तीपुर, कटिहार, सहरसा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय, मधेपुरा, पटन, सिवान, गोपालगंज, बक्सर, सारण, नालन्दा, प0 चम्पारण, पूर्णियाँ, अररिया, शेखपुरा, किशनगंज, भोजपुर, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक - /आ0प्र0, पटना-15, दि0-
प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, माननीय मंत्री, आ0प्र0 विभाग /उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक - 22 /आ0प्र0, पटना-15, दि0- 24/5/17
प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ आई0टी0 मैनेजर/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव